फरीदाबाद
मजदूर समाचार
राहें तलाशने–बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान–प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 176

फरवरी 2003

ईस्ट इण्डिया कॉटन मिल

नीलामी रोकने के लिये कम्पनी ने अपील की है। लूटपाट जारी रखने में मदद के लिये मैनेजमेन्ट फिर नये यूनियन प्रधान का जुगाड़ कर रही लगती है।

हम क्या-क्या करते हैं... (2)

अपने स्वयं की चर्चायें कम की जाती हैं। खुद की जो बातें की जाती हैं वो भी अक्सर हाँकने- फाँकने वाली होती हैं, स्वयं को इक्कीस और अपने जैसों को उन्नीस दिखाने वाली होती हैं। या फिर, अपने बारे में हम उन बातों को करते हैं जो हमें जीवन में घटनायें लगती हैं – जब- तब हुई अथवा होने वाली बातें। अपने खुद के सामान्य दैनिक जीवन की चर्चायें बहुत- ही कम की जाती हैं। ऐसा क्यों है? ✱ सहज- सामान्य को ओझल करना और असामान्य को उभारना ऊँच- नीच वाली समाज व्यवस्थाओं के आधार- स्तम्भों में लगता है। घटनायें और घटनाओं की रचना सिर- माथों पर बैठों की जीवनक्रिया है। विगत में भाण्ड- भाट- चारण- कलाकार लोग प्रभुओं के माफिक रंग- रोगन से सामान्य को असामान्य प्रस्तुत करते थे। छुटपुट घटनाओं को महाघटनाओं में बदल कर अमर कृतियों के स्वप्न देखे जाते थे। आज घटना- उद्योग के इर्दगिर्द विभिन्न कोटियों के विशेषज्ञों की कतारें लगी हैं। सिर- माथों वाले पिरामिडों के ताने- बाने का प्रभाव है और यह एक कारण है कि हम स्वयं के बारे में भी घटना- रूपी बातें करते हैं। ✱ बातों के सतही, छिछली होने का कारण ऊँच- नीच वाली समाज व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति गौण होना लगता है। वर्तमान समाज में व्यक्ति इस कदर गौण हो गई है कि व्यक्ति का होना अथवा नहीं होना बराबर जैसा लगने लगा है। खुद को तीसमारखाँ प्रस्तुत करने, दूसरे को उन्नीस दिखाने की महामारी का यह एक कारण लगता है। ✱ और, अपना सामान्य दैनिक जीवन हमें आमतौर पर इतना नीरस लगता है कि इसकी चर्चा स्वयं को ही अरुचिकर लगती है। सुनने वालों के लिये अक्सर "नया कुछ" नहीं होता इन बातों में। ✱ हमें लगता है कि अपने- अपने सामान्य दैनिक जीवन को "अनदेखा करने की आदत" के पार जा कर हम देखना शुरू करेंगे तो बोझिल- उबाऊ- नीरस के दर्शन तो हमें होंगे ही, लेकिन यह ऊँच- नीच के स्तम्भों के रंग- रोगन को भी नोच देगा। तथा, अपने सामान्य दैनिक जीवन की चर्चा और अन्यों के सामान्य दैनिक जीवन की बातें सुनना सिर- माथों से बने स्तम्भों को डगमग कर देंगे। ✱ कपड़े बदलने के क्षणों में भी हमारे मन- मस्तिष्क में अक्सर कितना- कुछ होता है! लेकिन यहाँ हम बहुत- ही खुरदरे ढँग से आरम्भ कर पा रहे हैं। मित्रों के सामान्य दैनिक जीवन की झलक जारी है।

✱ मेरी आयु 32 वर्ष है। मैं एक बड़ी कम्पनी में नौकरी करता हूँ। फरीदाबाद स्थित फैक्ट्रियों- दफ्तरों से भुगतान एकत्र कर दिल्ली कार्यालय में देना मेरा काम है। सप्ताह में 6 दिन ड्युटी है। महीने में 18- 20 दिन दिल्ली जाना पड़ता है और उन दिनों सुबह 9 से रात साढे नो बजे तक तथा अन्य दिनों 9 से 6 ड्युटीवश होता हूँ। कार्य ही ऐसा है कि शरीर बेढब होता जा रहा है। इधर 4 महीनों से मैं प्रतिदिन सुबह साढे पाँच बजे उठ जाता हूँ। ढेर- सारा पानी पीता हूँ और पेट साफ कर घूमने निकल जाता हूँ। आस- पास के हम 5- 7 लोग 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं और आधा घण्टा व्यायाम करते हैं। घूमते समय रोज किसी- न- किसी विषय पर चर्चा होती है। यहाँ भी और अन्य जगहों पर भी मुझे बहुत तकलीफ होती है जब एक जैसे लोग आपस में ही बड़े होने के दिखावे करते हैं।

हम सब नौकरी करते हैं, सब स्टाफ में हैं – कोई परचेज में, कोई अकाउन्ट्स में, कोई सेल में। हम अपने को मजदूर नहीं मानते, हमारी परिभाषा में मजदूर वह है जो साइकिल पर जाता है, पीछे रोटी का डिब्बा टँगा होता है, मुँह में बीड़ी होती है। वैसे, ज्यादा काम और कम दाम से हम सब तँग रहते हैं – घर में कोई बीमार पड़ जाये तो हजार- डेढ हजार खर्च हो ही जाते हैं और ऐसे झटके से सम्भलने में कई महीने लग जाते हैं।

घूमने- व्यायाम से तरोताजा हो कर मैं सवा सात घर पहुँच जाता हूँ। पत्नी अक्सर तब तक सोई होती है – साढे तीन और डेढ वर्ष के छोटे बच्चे हैं। पत्नी को उठाता हूँ और हम इक्ट्ठे चाय पीते व अखबार पढते हैं। महीने में 20 दिन चाय मैं बनाता हूँ। बच्चे जग जाते हैं तो हम चाय ही साथ पीते हैं और अखबार मैं अकेला ही पढता हूँ। साढे आठ बजे नहाता हूँ और तब तक बच्चे अमूमन उठ ही जाते हैं। उन्हें बहला- फुसला कर, कभी- कभी लड़की को रोती भी छोड़ कर पत्नी नाश्ता- खाना बनाती है। नाश्ता कर बैग उठा, बेटे को स्कूटर पर एक चक्कर लगवा कर 9 बजे मैं काम के लिये चल देता हूँ।

भुगतान लेना बहुत टेढा काम है – कहीं मशीन खराब है तो पहले मशीन ठीक करवाने की शर्त लगाते हैं; कई जगह कस्टमर के पैसे की तँगी होती है और बहाने पर बहाने बनाते हैं; कई जगह व्यवस्था इतनी लचर होती है कि पेमेन्ट उलझी रहती है। नववर्ष- दिवाली पर उपहार तो हर जगह माँगते हैं, कहीं- कहीं रिश्वत भी माँगते हैं। एक से दूसरी जगह, दिन- भर स्कूटर दौड़ाता हूँ। हर जगह जेन्टलमैन बन कर अन्दर जाना होता है – आजकल मफलर खोलना, दस्ताने उतारना, विन्डचीटर उतारना.... टाई लगाना जरूरी है पर मैं लगाता नहीं, बैग में अवश्य रखता हूँ, दिल्ली ऑफिस में साँय 6 बजे जब घुसता हूँ तब टाई बाँधता हूँ। टाई वाला हम उसको मानते हैं जिसकी 20 हजार तनखा हो – मुझे 8 देते हैं, 20 देंगे तो टाई की सजा कुबूल है। जेन्टलमैन की परिभाषा है टाई।

हर जगह मुझे गेट पर पूछताछ और रजिस्टर में नाम- पता- काम दर्ज करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अकाउन्ट्स विभाग में डीलिंग क्लर्क से मिलना। चेक बना हो तो लेना अन्यथा अगली तारीख। तीस में से 20 जगह तो चाय की पूछ ही लेते हैं और एक कस्टमर के यहाँ आधा- पौन घण्टा लग जाता है। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा .... कभी 1 बजे तो कभी 2 बजे भोजन करता हूँ और फिर वही फैक्ट्री- दफ्तर के चक्कर। काम ऐसा है कि ढील देना और तेज दौड़ना कुछ- कुछ अपने हाथ में है इसलिये मूड और अन्य कार्य के लिये समय इधर- उधर करने की कुछ गुँजाइश रहती है। लेकिन काम का दबाव इतना रहता है कि मन हो चाहे न हो, कस्टमरों के पास जाना ही होता है। प्रतिदिन औसतन 30 के यहाँ चक्कर लगाता हूँ। पैसे की जरूरत तन व मन को मारती है और कम्पनी ने इन्सेन्टिव का लालच भी दे रखा है।

दिल्ली जाना होता है तब साढे चार बजे ओल्ड, टाउन अथवा बल्लभगढ स्टेशन पर स्कूटर रख कर गाड़ी पकड़ता हूँ। फिर बस से कम्पनी कार्यालय पहुँचता हूँ। वहाँ 8- 10 अपने जैसे मिल जाते हैं। काम **(बाकी पेज तीन पर)**

अनुभव और विचार

एल.के. टेलिलिन्क मजदूर: " प्लॉट 141 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में रोज जबरन 4 घण्टे ओवर टाइम काम करवाते थे — 8 घण्टे की हाजरी ही तब लगाते थे जब 12 घण्टे काम करवा लेते। जनरल मैनेजर और परसनल मैनेजर ओवर टाइम के लिये मार-पीट तक पर उतर आते थे। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते थे। चार-पाँच साल से लगातार काम कर रहों को 1963 रुपये तनखा बताते थे और इनमें से 4 रविवार के 250 रुपये काट कर इन्हें 1700 बना देते थे। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं। ठेकेदारों के जरिये रखे 20 और 36 परमानेन्ट वरकर भी थे। कुछ राहत के लिये हम ने एक यूनियन का सहारा लिया। श्रम विभाग में शिकायत की गई और दिवाली से पहले हमें बताया गया कि समझौता हो गया तथा 4-5 साल से लगातार काम कर रहे 46 मजदूर परमानेन्ट कर दिये गये हैं। कम्पनी ने 46 के नाम रजिस्टर में दर्ज किये और सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन का मतलब ही तनखा में 400 रुपये की वृद्धि हुआ। ई.एस.आई. तथा पी.एफ. के प्रावधान लागू हुये। कम्पनी ने 8-8 घण्टे की दो शिफ्ट कर दी। हम सब बहुत खुश हुये। लेकिन अब पता लगा है कि कम्पनी, श्रम विभाग और यूनियन ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। चार-पाँच साल से लगातार काम कर रहे वरकरों की नई भर्ती दिखाई और अब '8 महीने पूरे करने से पहले ब्रेक' की बात आई है। कम्पनी ने कहना शुरू कर दिया है कि काम नहीं है और डर का माहौल बनाने के लिये एक परमानेन्ट मजदूर को निलम्बित कर दिया है।"

एस.जे. निटिंग एण्ड फिनिशिंग वरकर: " 13/7 मथुरा रोड़ स्थित कम्पनी को वैसे साहनी सिल्क कहते हैं। फैक्ट्री में उत्पादन बन्द हो गया है और बहुत पापड़ बेलने के बाद हमें हिसाब में चेक दिये हैं। हुआ यह कि उत्पादन बन्द होने के बाद यूनियन प्रधान तथा महासचिव आपस में लड़ गये और दोनों ने फैक्ट्री आना बन्द कर दिया। हम जाते रहे और खाली बैठ कर आते रहे। ऐसा होते साल-भर हो गया तब हिसाब की बात हुई। कम नौकरी वालों को नगद दे दिया गया पर जिनकी सर्विस ज्यादा थी उन्हें चेक दिये। अक्टूबर 02 में सुभाष साहनी के हस्ताक्षर वाला एक-एक चेक हर मजदूर को दिया। चेकों पर दिसम्बर 02, 03, 04, 05, 06, 2007 और 2008 की तारीखें डाली हैं। पैसों की मात्रा के साथ तारीख बढाई। कम पैसे वाले दिसम्बर 02 के चेक भी बैंक ने यह कह कर वापस लौटा दिये हैं कि खाते में पैसे नहीं हैं। बैंक द्वारा वापस किये चेक ले कर वे मजदूर दिल्ली में सुभाष साहनी की कोठी पर गये तो वह बोला कि थोड़ा इन्तजार करो, नगद दे दूँगा।"

गवर्नमेन्ट प्रेस वरकर: "दिक्कतें? फैक्ट्री की एस्बेस्टोस चद्दरों की छत पर 3-4 इन्च मोटी कोई परत चढा रखी थी जो गर्मी और सर्दी में राहत देती थी। तीन साल पहले नई चद्दरें डाली पर उन पर परत नहीं चढाई। अब गर्मियों और सर्दियों में अतिरिक्त परेशानी होती है। पानी का निकास ऐसा है कि बरसात में कई बार पानी अन्दर कार्यस्थल पर घुस जाता है। एग्जास्ट फैन हैं तो पर्याप्त परन्तु आधे काम ही नहीं करते — कागजों का काम है और धूल बहुत उड़ती है। लैट्रीन-बाथरूम हैं तो काफी लेकिन बहुत गन्दे रहते हैं। तीन-चार साल से स्वास्थ्य की जाँच नहीं .... लेकिन इस समय हम लोगों के बीच चर्चा नौकरियों की ही होती है। पुरानी प्रेस और नई प्रेस को मिलाने की बात है तथा पुरानी प्रेस के 700 वरकरों में से 300 से ज्यादा को फालतू बताया जा रहा है। हम लोगों में अब गुटबाजी नहीं है और आपस में कई प्रकार के तालमेल हैं। इसलिये झटके से छँटनी करना सरकार के लिये बहुत-ही मुश्किल होगा। लेकिन धीमी छँटनी जारी है।"

कास्टमास्टर मजदूर: "गाली-गलौज; फैक्ट्री में चोट लगने पर प्रायवेट चिकित्सा और इलाज के दौरान ड्युटी नहीं कर पाने वाले दिनों का वेतन नहीं; मजबूरी में एक दिन छुट्टी करने पर कम्पनी द्वारा दूसरे दिन जबरन छुट्टी भेज कर दो दिहाड़ी की चोट मारना; बरसों से लगातार काम कर रहों को कम्पनी कैजुअल वरकर कहती है और ई.एस.आई. कार्ड नही देती व प्रोविडेन्ट फण्ड भी नहीं; ... कुछ राहत के लिये हम ने एक यूनियन का पल्लू पकड़ा। चन्दा दिया, भागदौड़ की और गेट पर झण्डा लगा लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिली। इस पर दूसरी यूनियन का पल्ला पकड़ा है परन्तु कम्पनी पहली वाली यूनियन को ही मान रही है। मान्यता और गेट पर झण्डे के लिये खींचतान में नई यूनियन ने 15-16 नवम्बर को कम्पनी को काम धीमा करने का नोटिस दिया लेकिन मैनेजमेन्ट ने कहा कि नोटिस उसे मिला ही नहीं है। नई यूनियन ने 18 नवम्बर को स्लो डाउन का ऐलान किया और कम्पनी ने गेट रोकने का सिलसिला शुरू किया। पचास बाहर कर दिये गये तब 3 दिसम्बर को नयी यूनियन ने सब वरकरों को फैक्ट्री से बाहर बैठने को कहा। पचास दिन से ऊपर हो गये हैं हम 110 मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर हुये। लेकिन ठेकेदारों के जरिये रखे वरकर, मेन्टेनैन्स विभाग के वरकर तथा स्टाफ फैक्ट्री में जा रहे हैं। नवम्बर की तनखा हमें श्रम विभाग में शिकायत करने के बाद ही दी गई और किसी की 3, किसी की 5 व किसी की 8 दिहाड़ी काट ली गई। अब राहत तो बहुत दूर लगती है, उल्टे एक बार फिर हम बुरी तरह फँस गये हैं। कुछ सस्पैण्ड को ड्युटी पर ले लिया है।"

और बातें यह भी

न्यू एलनबरी मजदूर: "मेवला महाराजपुर फाटक स्थित फैक्ट्री में कम्पनी ने परमानेन्ट वरकरों को भी डेली वेजेज वरकर बना दिया है। आधी छुट्टी करने पर मैनेजमेन्ट हाउस रेन्ट अलाउन्स, साइकिल भत्ता, गुड़ अलाउन्स, चाय भत्ता में भी कटौती करने लगी है।"

सी.एम.आई. वरकर: " सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में कम्पनी ने वेतन देने में देरी का सिलसिला शुरू कर दिया है। श्रम विभाग से कम्पनी ने कहा है कि काम कम है। ले-ऑफ और छँटनी की तलवार चमकने लगी है।"

बत्रा एसोसियेट्स मजदूर: " मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में काम बिलकुल नहीं हो रहा— कम्पनी कहती है कि आर्डर नहीं हैं। यूनियन लीडर कम्पनी से मिल गये थे इसलिये हम ने दूसरी यूनियन का झण्डा लगा कर नये लीडर बनाये हैं। नई यूनियन कम्पनी द्वारा ले-ऑफ के खिलाफ अदालत से स्टे ले आई है।"

क्लास वरकर: " एस्कोर्ट्स से पूरी तरह अलग हो गई है कम्पनी और महीने में आजकल 15 दिन छुट्टी दे रही है। खतरे की घण्टी है क्योंकि कम्पनी नये-नये शोध कर रही है और छुट्टी वाले दिनों उन्हीं लोगों को ड्युटी पर बुला रही है जो नक्शे-वक्शे बनाते हैं।"

हैदराबाद इन्डस्ट्रीज मजदूर: " कम्पनी ने स्टाफ की छँटनी के लिये वी.आर.एस. लगाई थी। इस 'स्वेच्छा से सेवानिवृति योजना' की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर 02 थी। स्टाफ में से किसी ने भी नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया। कम्पनी ने योजना पहली मार्च तक बढा दी है।"

जगसन पाल फार्मास्युटिकल वरकर: "दिल्ली बारडर पर स्थित फैक्ट्री में 500 मजदूर काम करते हैं फिर भी कैन्टीन नहीं है। सर्दियों में सुबह-सवेरे रोटी बनाने से कई बार चूक जाते हैं — बिना रोटी खाये पूरे दिन काम कैसे करें? फैक्ट्री में भोजन करने की जगह भी नहीं है।"

मजदूर समाचार में साझेदारी के लिये:

★ अपने अनुभव व विचार इसमें छपवा कर चर्चाओं को कुछ और बढवाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते। ★ बाँटने के लिये सड़क पर खड़ा होना जरूरी नहीं है। दोस्तों को पढवाने के लिये जितनी प्रतियाँ चाहियें उतनी मजदूर लाइब्रेरी से हर महीने 10 तारीख के बाद ले जाइये। ★ बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दे सकते हैं। रुपये-पैसे की दिक्कत है।

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद—121001

कानून-कानून

पी पी एल मजदूर :" बुढिया नाले पर स्थित फैक्ट्री में 40 वरकर परमानेन्ट हैं और 250 मजदूर कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखे गये हैं। फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 घण्टे की ड्युटी लेते हैं और कैजुअल वरकर को इसके बदले में 70 रुपये देते हैं। ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को 12 घण्टे रोज काम के बदले महीने में 1800 रुपये देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं। तनखा देते भी देरी से हैं, 22 तारीख के बाद।"

नूवेअर वरकर : " नूकेम ग्रुप की यह कम्पनी भी नूकेम मशीन टूल्स की राह पर है। सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर की तनखायें आज 22 जनवरी तक हमें नहीं दी हैं।"

पी.आर. पैकिंग मजदूर : " यहाँ सैक्टर-4 और पृथला गाँव स्थित प्लान्टों में 300 मजदूर काम करते हैं जिनमें से 30-40 परमानेन्ट हैं। दोनों फैक्ट्रियों में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। कैजुअल वरकरों को 12 घण्टे रोज ड्युटी के बदले महीने में 2000 रुपये देते हैं - ई.एस.आई. कार्ड नहीं, प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं। एक कप चाय तक नहीं देती कम्पनी 12 घण्टे की ड्युटी में। स्टाफ के लोग गेट बाहर दुकान पर चाय पीने जाते हैं लेकिन कोई मजदूर तबीयत खराब होने पर वहाँ चाय पीने चला जाता है तो उसके 4 घण्टे के पैसे काट लेते हैं।"

शरद मैटल वरकर : " संजय कालोनी, सैक्टर-23 स्थित फैक्ट्री में कम्पनी चेयरमैन और उसका बेटा बहुत गालियाँ देते हैं और मजदूर के थप्पड़ मार देते हैं। जबरन ओवर टाइम काम करवाते हैं और उसके पैसे सिंगल रेट से देते हैं। इधर वेतन भी देरी से देने लगे हैं।"

आर.आर. आटोमोटिव मजदूर :" आज 25 जनवरी तक हमें दिसम्बर का वेतन नहीं दिया है। हम पैसे की बात करते हैं तो साहब लोग कहते हैं कि काम करना है तो करो नहीं तो गेट खुला है। कम्पनी की तीनों फैक्ट्रियों में यह हाल है।"

साहनी इण्डिया वरकर: " प्लॉट 41-42 सैक्टर-28 स्थित फैक्ट्री में ओवर टाइम काम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं।"

महिला मजदूर

एस.पी.एल. वरकर : "प्लॉट 128 सैक्टर-24 स्थित एस.पी.एल. ग्रुप की फैक्ट्री में पुरुष मजदूरों को तो दिक्कतें हैं ही, लेकिन यहाँ हम महिला मजदूरों की तो और भी ज्यादा लूट-खसूट व परेशानियाँ हैं। हम से भी रोज 12 घण्टे ड्युटी करवाते हैं और फिर रात 9-10 बजे तक रुकने को मजबूर करते हैं। जो महिला 12 घण्टे काम करने के पश्चात रात 8 बजे बाद रुकने से इनकार करती हैं उन्हें दफ्तर में बुला कर डाँटते हैं, नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। आठ घण्टे काम के हिसाब से हमें महीने के 1100 रुपये देते हैं और कहते हैं कि कोई पूछे तो 2300 बताना, किसी ने 1100 की बात बताई तो नौकरी से निकाल देंगे। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं और लिखा-पढी में गड़बड़ करते हैं। पीस गिनती में भी हेरा-फेरी करते हैं।"

हम क्या-क्या करते हैं.......... (पेज एक का शेष)

की रिपोर्ट देने और साहब की इस-उस बारे में बातें सुनने में एक-डेढ-दो घण्टे लग जाते हैं। वापस बस और ट्रेन पकड़ना। स्टेशन से स्कूटर उठाना और रात नो-साढे नो बजे घर पहुँचना। बच्चे कभी सोये तो कभी जगे मिलते हैं। हाथ-मुँह धो कर 10 बजे भोजन करता हूँ। भोजन के बाद पहले हम दोनों रात को टहलने जाते थे पर अब सर्दी के कारण यह बन्द है। अब दिन की किसी बात पर चर्चा करते हैं और कुछ टी.वी. देखते हैं - पढता था तब गाँव से फरीदाबाद आ कर फिल्म देखता था पर अब चार साल में हॉल में एक भी फिल्म देखने नहीं गया हूँ, मन ही नहीं करता। नौकरी से मन ऊब गया है, नौकरी छोड़ने को मन करता है पर कहाँ जाऊँ। रात 11 बजे हम सो जाते हैं।

★अभी मैं 35 वर्ष की भी नहीं हुई हूँ। पति और बड़ा लड़का नौकरी करते हैं। मैं घर सम्भालती हूँ और सिलाई-कढाई से दो पैसे भी कमाती हूँ। हर रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ। बाहर जंगल जाना - अन्धेरा होता है, सूअर से और गन्दे आदमी से डर लगता है (आदमी छुप कर बैठ जाता है)। मजबूरी है, हिम्मत जुटानी पड़ती है। जंगल से आने के बाद पानी भरना - भीड़ नहीं हुई तो 20 मिनट अन्यथा घण्टा लग जाता है। पानी लाने के बाद बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना। फिर सब्जी काटना, मसाला पीसना - सिलबट्टे पर पीसती हूँ, तैयार किया हुआ इस्तेमाल नहीं करती। पति की ड्युटी अब ओखला में है और उन्हें 7.40 की गाड़ी पकड़वानी होती है। गैस पर एक तरफ सब्जी रखती हूँ और दूसरी तरफ आटा गूँथ कर रोटी बनाती हूँ। कभी-कभी स्टोव पर साथ-साथ पानी गर्म करना क्योंकि दो बच्चों को स्कूल के लिये तैयार करना होता है। सब्जी तैयार होते ही चाय रख देती हूँ। पति को गाड़ी पकड़ने के लिये सवा सात घर से निकलना पड़ता है। बच्चे पौने आठ बजे निकलते हैं। सुबह-सुबह रोटी-सब्जी का नाश्ता करते हैं और फिर चाय पीते हैं। पति रोटी ले भी जाते हैं, बच्चे एक बजे आ कर खा लेते हैं।

सब को निपटाने के बाद चाय बचती है तो उसे गर्म करती हूँ अन्यथा फिर बनाती हूँ। चाय पीती हूँ, नाश्ते को मन नहीं करता। पानी गर्म कर नहाना। फिर बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, बिस्तर ठीक करना। काम मैं बहुत जल्दी करती हूँ पर फिर भी 10-11 बज जाते है, मेहमान आने पर और समय लग जाता है। एक-डेढ घण्टा आराम करती हूँ।

दोपहर को फिर पानी भरना - पानी तो तीनों टाइम भरना पड़ता है। फिर निनानवे का चक्कर : दस रुपये में पैजामा, पाँच में कच्छा, दस में पेटीकोट सीलती हूँ। फैक्ट्रियों से ठेकेदार कपड़े लाते हैं उन पर पीस रेट से कढाई करती हूँ। चार-पाँच बज जाते हैं। दूध और मण्डी से सब्जी लाती हूँ तब तक खाना-पानी के जुगाड़ में चौका-बर्तन का समय हो जाता है। सब मिला कर यह कि अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाती। अपने लिये समय नहीं मिलता।

बडे लड़के की महीने में 15 दिन रात की ड्युटी भी रहती है। आज रात की ड्युटी है, रात 8 बजे घर से जाना है। मुझे 7 बजे तक भोजन तैयार करना है क्योंकि तुरन्त खा कर जाने में पेट दर्द करता है - एक घण्टा पहले खा कर, कुछ आराम करके जाता है। वह इस समय बीमार भी चल रहा है। उसकी ड्युटी 12 घण्टे की है : आज रात साढे आठ से कल सुबह साढे आठ बजे तक। लड़का 17 साल का है, हर रोज 12 घण्टे प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन पर खड़ा रहता है। मुझे बहुत दुख होता है, मन करता है कि नौकरी छुड़वा दूँ पर मजबूरी है - घर पर कहाँ बैठा कर रखूँगी।

रात साढे नो तक फारिग हो कर सब बिस्तर में और टी.वी. देखते हैं।

चिन्ता के कारण मुझे कभी-कभी रात-भर नींद नहीं आती। बीमार हो जाती हूँ तो सोचती रहती हूँ कि कौन मेरे लिये करेगा - सब तो ड्युटी वाले हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। किसी से मदद लो तो अड़ोसी-पड़ोसियों द्वारा गलत इल्जाम लगा दिये जाने का डर रहता है। लड़की सयानी हो रही है, उसकी सोचती रहती हूँ। इतना बोझ ले कर चलना है। कैसे चलूँ? अभी तो आधी उम्र भी नहीं निकली। रक्तचाप-ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, बुरे-बुरे विचार आते हैं। मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अब किसी से मेलमिलाप को मन नहीं करता जबकि पहले मैं बहुत मेलजोल रखती थी। वैसे अब बेटी का बहुत सहारा हो गया है।

12-13 वर्ष की थी तब विवाह हो गया था और हम पति-पत्नी दो दोस्तों की तरह रहते हैं। बच्चे हमारा आदर करते हैं। मैं बार-बार अपने मन को समझाती हूँ कि बच्चे साथ देंगे - औरों की तरह शादी के बाद लड़के हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बुढापे में अकेले रह जाने का डर बना रहता है - पेट काट कर दो पैसे अलग से बचाने के चक्कर में रहती हूँ ताकि पैसे के लालच में ही सही, बच्चे बुढापे में हमारा ख्याल रखेंगे।

ज्यादा थक जाती हूँ तब चिड़चिड़ी भी हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि जिन्दगी क्यों दी, इससे तो मौत भली। (जारी)

झुग्गी अर्थशास्त्र

फरीदाबाद... नोयडा... योजनाबद्ध औद्योगिक नगर हैं। कारखानों के जाल योजना में हैं। सुपरवाइजरों- मैनेजरों- अफसरों की रिहाइश के लिये सैक्टर भी योजना में हैं। लेकिन कारखानों में निचोड़े जाने वाले मजदूर कहाँ रहेंगे ? योजनायें इस बारे में मौन हैं। फरीदाबाद... नोयडा... की योजनाओं में मजदूरों की रिहाइश के लिये कोई स्थान निर्धारित नहीं हैं ! भलेमाणस इसे योजनाकारों की नादानी कहेंगे और चतुर लोग बेवकूफी ... लेकिन सिर- माथों के पिरामिडों पर न तो नादान और न ही बेवकूफ चढ- टिक सकते हैं। *दरअसल, किन्हीं के होने को ही गैरकानूनी बना देने के पीछे एक पूरा राजनीतिक अर्थशास्त्र है। अधिक शोषण के लिये जीवन–स्तर गिराने और दबे–कुचलों पर जकड़–नियंत्रण कसने के वास्ते बिचौलियों की फौज पालना इस राजनीतिक अर्थशास्त्र के आधार–स्तम्भ हैं।*

–मजदूरों के निवास पर खर्च कम करना मजदूर की लागत कम करना होता है। झुग्गियाँ- गन्दी बस्तियाँ बनवाने- बनाने देने की ओट में यह हवस छिपी रहती है। अहसान व रक्षा के नाम पर विभिन्न स्तर के बिचौलिये और उनके पट्ठे वसूली करते हैं। दमन- शोषण की व्यवस्था को लगभग मुफ्त में यह थाणेदार + वकील मिल जाते हैं। और फिर , जब ऐसी किसी जगह की सिर- माथों पर बैठों को ज़रूरत पड़ जाये तब पीड़ितों को दोषी ठहराने व स्थान खाली करवाने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होती।

– नागरिक नहीं होना, गैरकानूनी प्रवास एक खुला धन्धा है। मैक्सिको से अमरीका, तुर्की से जर्मनी, कोरिया से जापान, भारत से खाड़ी क्षेत्र, बंगलादेश से भारत ..... कुल मिला कर दुनियाँ में आज गैरकानूनी ढँग से रहने वालों की तादाद करोड़ों में है। गैरकानूनी के लेबल के जरिये लाचारी बढाई जाती है : शोषण की मात्रा बढाने और प्रतिरोध के अवसर घटाने का यह एक अफलातूनी नुस्खा है। यह "नागरिक मजदूरों" के डर को भी बढाता है और साहबों को आवश्यकता पड़ने पर पीड़ितों को पीड़ितों से भिड़ाने में भी अचूक- सा है। इस सिलसिले में आतंकवाद- वातंकवाद की ओट- आड़ तो सरकारों को अधिकाधिक सख्ती- दमन के लिये मिलती ही है।

–पटरी- फेरीवालों में से दो प्रतिशत को ही लाइसैंस ......

– यह- वह- वह गैरकानूनी घोषित करना और कानूनों को सख्ती से लागू करवाने के लिये माहौल बनाना सिर- माथों पर बैठों का शगल नहीं है। ऐसा करके साहबों की सिरमौर, अमरीका सरकार ने इस समय बीस लाख नागरिकों को सजा दे कर तथा आठ लाख को विचाराधीन कैदी के रूप में जेलों में बन्द कर रखा है। फैक्ट्री- दफ्तर बनाई जा रही हैं जेलें जहाँ अमरीका सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का पचासवाँ हिस्सा मजदूरी में दे कर 28 लाख कैदियों से काम करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। और, दमन- शोषण के हिमालय पर पर्दे हैं अन्तरिक्ष- उड़ानें, महाघटनायें, दुर्घटनायें.....

फरीदाबाद में सरकार के तोड़फोड़ अभियान में आई तेजी ने झुग्गियों- गन्दी बस्तियों में व्यापक पैमाने पर जो सवाल उठाये हैं उनमें से कुछ यह हैं : विरोध कैसे करें? कैसे लड़ें? दलदल में फँस कर सिर और न फुड़वा बैठें से बचने की राहें कौनसी हैं? हमारे विचार से इस सन्दर्भ में बिचौलियों की लीपापोतियों को पहचानना- खारिज करना प्रस्थान- बिन्दु है। समय राजनीतिक अर्थशास्त्र की जन- जन द्वारा आलोचना का है, तन- मन- मस्तिष्क से आलोचना का वक्त है। आँसू बहाने, छाती पीटने के पार जाने की आवश्यकता है।

मेरठ से–

★**फर्क तो पड़ता है:** कल, 17 जनवरी को मोदीपुरम, मेरठ स्थित **मोदी रबड़ लिमिटेड** व **मोदी टायर लिमिटेड** के प्रबन्ध निदेशक तथा विश्व हिन्दू परिषद नेता डॉ. भूपेन्द्र कुमार मोदी के विरुद्ध गैर- जमानती वारंट जारी हुआ। पूरा प्रबन्ध- तन्त्र हतप्रभ ! मजदूरों की जँग रंग लाई। अब हड़कम्प मची है। मजदूरों को मनाने , सुलह- समझौते के लिये अथक कसरत जारी है। परन्तु....

मोदीनगर (गाजियाबाद) में भारी मुनाफा दे रही उक्त कम्पनियों की मेरठ यूनिटों को मजदूरों के शोषण के मंसूबे से बन्द किया गया था। श्रमिकों को वर्षों तक वेतन से वंचित रखा गया। उनका संघर्ष कामयाब होते देख कर 11 माह पहले कम्पनियों को बन्द कर दिया गया। श्रमिकों का बकाया 93 लाख न देना पड़े इसलिये प्रशासन ने 31.12.02 को फैक्ट्रियों को सील कर दिया था। अब जारी हुये गैर- जमानती वारन्ट के सन्दर्भ में तहसील प्रशासन का कहना है कि उक्त वसूली जुलाई 02 में प्रभावी हुई थी। मोदी टायर प्रबन्धतन्त्र को कई नोटिस जारी किये गये लेकिन ऊँची पहुँच वाले डॉ. मोदी व उनके प्रबन्धतन्त्र ने नोटिसों की उपेक्षा की।

मजदूर पकड़ से बाहर हैं और ऐसे ही रहे तो कम्पनी के पास कोई चारा नहीं है। उप जिलाधिकारी व तहसीलदार के अनुसार फैक्ट्री की नीलामी करके श्रमिकों को देय धन के भुगतान की व्यवस्था करनी होगी।

★**आदेश न्यायालय के :** मैं , बाल मुकुंद, सन् 1964 से **मोदी पोन** फैक्ट्री में कार्यरत था। सन् 1974 में फोरमैन के पद पर कार्य करते हुये ड्युटी के दौरान एक दुर्घटना में एक पैर गँवा बैठा। चिकित्सा खर्च व कुछ अतिरिक्त सहयोग (जो कानूनन निर्धारित है) की बात तो दूर , कम्पनी ने मेरा वेतन भी कम कर दिया। मैं वर्षों तक न्याय के लिये लड़ा। डी.एम., एस.डी.एम. , श्रम विभाग , सब जगह न्याय की गुहार जारी रखी। अब , 2003 में जा कर मिल प्रबन्धकों के नाम न्यायिक आदेश जारी हुआ कि मुझे क्षतिपूर्ति राशि (काटी गई तनखा , जुर्माना सहित) तत्काल प्रभाव से भुगतान की जाये। प्रबन्धकों ने इस पर मुझे नौकरी से ही निकाल दिया है। न्यायिक आदेश लिये घूम रहा हूँ। पुलिस डकार नहीं ले रही। क्या मैं फिर कोर्ट में जाऊँ? मरने के पहले अगर न्याय मिला भी तो उसे लागू कौन करेगा?...

★**पन्थ के दास:** मैं , लालजी पाल , **संत निरंकारी मण्डल** के सेवादल का संचालक था। सम्बोधित तो मुझे ' महापुरुष' या 'महात्मा' कह कर किया जाता था, मगर सच में मैं क्या था , मैं ही जानता था। दिहाड़ी करने वाले मजदूर भी ' भगवान' के दरबार में सेवारत मुझ मजदूर से बेहतर दिखते थे। ' नर पूजा नारायण पूजा', ' सभी में वही ईश्वर' और 'सदगुरू – इस युग का प्रभु अवतार !' इन प्रचारित तथ्यों के तहत अनुयाइयों का तन- मन- धन (इज्जत- आबरू तक) का समर्पण करा लेने के बाद जनरल बॉडी (प्रान्तीय- जनपदीय अधिकारी) एवं स्पेशल बॉडी (मुख्यालय दिल्ली का प्रबन्ध- तन्त्र) वे समस्त ऐशो- आराम भोगती थी जिनका वर्णन इन्द्र व देवों के बारे में पढने- सुनने को मिलता है।

मेरे चलते मेरे कई रिश्तेदार- मित्र भी मण्डल से जुड़े। हर माह लोग लाखों रुपये की रसीदें कटाने लगे। एक मित्र तो हद तक समर्पित हो कर अपना सब कुछ लुटा बैठा। दिन- रात यहाँ- वहाँ जहाँ कहीं सत्संग होता वह जरूर होता। नौकरी तो गई, घर का कारोबार भी चौपट हो गया। मालामाल से कँगाल होने पर मण्डल वाले उससे किनारा कर लिये। मैंने मण्डल में उसे काम दिलाने का प्रयास किया। वह पढा- लिखा था; बाट- माप विभाग में सब इन्सपैक्टर रह चुका था। उसे चपरासी की नौकरी भी मण्डल में नहीं दी। मैं उसे दिल्ली में भगवान के यहाँ लाया। वे कहाँ दर्शन देते। चौथी बार आने पर उनके निजी सचिव अपने सहायक के साथ सामने आये। पता लगा कि मण्डल में कोई काम पाने के लिये ' अधिकारियों की जाति- बिरादरी वाला होना चाहिये' या 'राजनैतिक एप्रोच होनी चाहिये' या फिर 'अपेक्षित कीमत चुकाने की क्षमता' । हम निराश हो गये। वापस होते वक्त हमें बताया गया : ' हर शाम, सुबह लाती है। प्रारब्ध का फल सामने है , कल सब ठीक हो जायेगा। भगवान जो करता है , ठीक करता है। वह परीक्षा ले रहा है, गुरू पर भरोसा रखना।'

मैंने कुछ सीक्रेट बातें सार्वजनिक करने की चेतावनी तक दे डाली। कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ तो यह कि मैं सेवामुक्त कर दिया गया। एस.पी., डी.एम., सी.एम., पी.एम. ही नहीं, अदालत तक पर तीर चलाते हमारे लेखक- पत्रकार इन भगवत् अवतारी सद्गुरुओं के मामले में खामोश रहते हैं।....... – नीलम

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233** पोस्टल रजिस्ट्रेशन **L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।